

जी.डी.रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी

कोहका-कुरुद रोड़, भिलाई

दिनांक : 21.09.2024

सूचना

महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ST, SC & OBC) पात्रता रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी, वेबसाइट <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> में आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 30.10.2024

आवेदन की हार्डकॉपी, कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि – 05.11.2024

कार्यालय में आवेदन जमा करने का समय: दोपहर 3:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

आवश्यक दस्तावेज [Order of arranging documents: 1 to 13]

1. Application Form with passport photograph
2. Caste Certificate (**Permanent**) [Digital copy-Self attested]
3. Income Certificate [Digital copy-Original]
4. Affidavit regarding income [Original]
5. Domicile Certificate [Digital copy-Self attested]
6. 10th marksheet [Self attested]
7. 12th marksheet [Self attested]
8. Latest previous marksheet-at least 50% [Self attested]
9. Bank passbook copy [Self attested]
10. Latest Fee receipt [Self attested]
11. Gap certificate (if required) [Original]
12. Aadhar Card [Self attested]

छात्रवृत्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित की गई विद्यार्थियों के पालकों की अधिकतम आय:—

1. अन्य पिछड़ा वर्ग – ₹.1,00,000 /— सालाना
2. अनुसूचित जाति – ₹.2,50,000 /— सालाना
3. अनुसूचित जनजाति – ₹.2,50,000 /— सालाना

Copy to:

1. Notice Board;
 2. For circulation amongst students;
 3. Office copy;
 4. HOD's (CS, Comm. & Mgmt., Education, Science, Humanities);
 5. Dy. Registrar, GDRCS; - For information & necessary action
 6. Shri Sonal Rungta Sir; - The Director (F&A)
 7. Dr. Saurabh Rungta Sir; - The Director (Tech)
 8. Shri Santosh Rungta Sir. - The Chairman
- } For kind information

Name
प्राचार्या

जी.डी.आर.सी.एस.टी.
भिलाई (छ.ग.)

PRINCIPAL
G.D. RUNGTA COLLEGE
OF SCIENCE & TECHNOLOGY
BHILAI (C.G.)

नोट:

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता का ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से OTR (One Time Registration) की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है। OTR की प्रविष्टि के संबंध में प्रक्रिया की जानकारी दी जायेगी।